

અધ્યાય II

બજટીય પ્રબંધન

अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

इस अध्याय में छत्तीसगढ़ राज्य की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा की गई है, जिसमें बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाया गया है, जिसमें आधिक्य व्यय और लगातार बचत जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों को उजागर करता है, यथार्थवादी बजट एवं समय पर निधि का उपयोग की आवश्यकता पर जोर देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमानों में 'भारित' और 'मतदेय' मदों¹ को अलग-अलग दर्शाया जाता है और राजस्व लेखों पर किए गए व्यय को अन्य व्ययों से अलग दर्शाया जाता है। राज्य शासन द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ राज्य बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और 'अनुदान की मांग' नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। राज्य के बजट में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

- वार्षिक वित्तीय विवरण
- मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना
- अनुदान की मांग
- राजकोषीय जोखिम विवरण
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विवरण
- अन्य

छत्तीसगढ़ राज्य का वार्षिक बजट 71 अनुदान मांगों में तैयार किया जाता है जिसे आगे अनुदान/विनियोगों में विभाजित किया जाता है।

2.2 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच का अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और लोक व्यय का कुशल प्रबंधन संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संतुलन बनाए रखता है। लगातार बचत/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय उपयोग प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।

¹ भारित व्यय: व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी, आदि), राज्य की संचित निधि पर भार मानी जाती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं।
मतदेय व्यय: अन्य सभी व्यय विधायिका द्वारा मतदान किए जाते हैं।

राज्य विधानसभा से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण तालिका 2.1 में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (-)	समर्पित राशि	
							राशि	कुल बजट के बनाम प्रतिशत
मतदेय	I- राजस्व	1,18,900.59	20,420.33	1,39,320.92	1,17,857.73	-21,463.19	20,208.76	14.51
	II- पूंजी	23,585.41	6,249.89	29,835.30	21,245.07	-8,590.23	8,397.52	28.15
	III- ऋण और अग्रिम	490.80	शून्य	490.80	321.56	-169.24	163.59	33.33
	कुल	1,42,976.80	26,670.22	1,69,647.02	1,39,424.36	-30,222.66	28,769.87	16.96
भारित	IV- राजस्व	8,215.07	1,215.93	9,431.00	9,397.68	-33.33*	63.07	0.67
	V- पूंजी	15.76	11.05	26.81	12.62	-14.19	14.19	52.93
	VI- लोक ऋण-अदायगी	9,360.44	शून्य	9,360.44	10,870.67	1,510.23	33.47	0.36
	कुल	17,591.27	1,226.98	18,818.25	20,280.97	1,462.72	110.73	0.59
आकस्मिकता निधि में विनियोग		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महायोग		1,60,568.06	27,897.20	1,88,465.26	1,59,705.33	-28,759.93	28,880.60	15.32

स्रोत: विनियोग लेखे

*बचत (₹ 61.75 करोड़) और आधिक्य (₹ 28.42 करोड़) को समायोजित करने के बाद शुद्ध आंकड़ा

नोट : ऊपर दर्शाए गए व्यय राजस्व शीर्षों (₹ 1,865.59 करोड़) और पूंजी शीर्षों (₹ 1,203.07 करोड़) के तहत व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित प्राप्तियों को ध्यान में रखे बिना सकल आंकड़े हैं।

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य शासन का कुल बजट ₹ 1,88,465.26 करोड़ था और वास्तविक व्यय ₹ 1,59,705.33 करोड़ था, जिससे सभी अनुदानों में ₹ 28,759.93 करोड़ की कुल शुद्ध बचत हुई जो उन मदों के तहत आवंटन का 15.26 प्रतिशत थी।

2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय के रुझान तालिका 2.2 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	1,02,907.42	1,05,212.73	1,12,603.40	1,32,370.17	1,60,568.06
अनुपूरक बजट	7,042.84	5,086.56	11,445.78	32,511.51	27,897.20
कुल बजट (क)	1,09,950.26	1,10,299.29	1,24,049.18	1,64,881.68	1,88,465.26
पुनरीक्षित अनुमान (ख)	98,842.36	1,07,239.96	1,21,842.07	1,59,613.62	1,64,339.28
वास्तविक व्यय (ग)	89,299.70	96,368.41	1,10,413.01	1,58,387.86	1,59,705.33
शुद्ध बचत	20,650.56	13,930.88	13,636.17	6,493.82	28,759.93
मूल प्रावधान में से अनुपूरक का प्रतिशत	6.84	4.83	10.16	24.56	17.37
कुल प्रावधान में से समग्र बचत/आधिक्य का प्रतिशत	18.78	12.63	10.99	3.94	15.26
क-ख	11,107.90	3,059.33	2,207.11	5,268.06	24,125.98
ख-ग	9,542.66	10,871.55	11,429.06	1,225.76	4,633.95
(क-ख) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	10.10	2.77	1.78	3.19	12.80
(ख-ग) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	8.68	9.86	9.21	0.74	2.46

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे

तालिका 2.2 से पता चलता है कि 2024-25 के दौरान ₹ 27,897.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 17.37 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 24.56 प्रतिशत था।

चूंकि समापक व्यय (₹ 1,59,705.33 करोड़) मूल बजट में निहित था, इसलिए अनुपूरक प्रावधान आवश्यक नहीं/अत्यधिक थे जैसा कि बाद की कड़िका संख्या 2.5.2 में चर्चा की गई थी।

चार्ट 2.1: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय दिखाने वाला रुझान



चार्ट 2.1 से, यह देखा गया है कि समय के साथ विचलन कम हो गया है। शासन ने अपने बजट अनुमान और व्यय संरेखण में उत्तरोत्तर सुधार किया है, और बाद के वर्षों में वास्तविक व्यय, पुनरीक्षित अनुमानों के काफी समीप रहा है।

इस बारे में बताए जाने पर, राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि ₹ 28,759.93 करोड़ (कुल बजट का 15.26 प्रतिशत) की शुद्ध बचत उपलब्ध संसाधनों के भीतर व्यय का प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय विवेक का एक उपाय है। हालांकि समापक व्यय मूल सीमा के भीतर था, लेकिन ₹ 27,897.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मुख्य रूप से नए प्रासंगिक बजट शीर्षों को खोलने और एक मांग/प्रमुख शीर्ष से दूसरे में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण था, जो अन्यथा प्रतिबंधों के कारण संभव नहीं है, जैसे कि एक मांग संख्या से दूसरे में और पूंजीगत व्यय से राजस्व शीर्षों में।

सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) और बजट नियमावली के सिद्धांतों के अनुसार, बजटीय प्रावधानों को आवश्यकताओं के वास्तविक मूल्यांकन पर तैयार किया जाना अपेक्षित है, और विधायिका द्वारा मतदान की गई निधियों का इच्छित उद्देश्यों के लिए इष्टतम उपयोग किए जाने की आशा है।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवावार विश्लेषण

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का घटकवार विश्लेषण तालिका 2.3 में संक्षेपित किया गया है। विनियोग लेखों में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 के लिए घटकवार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	बजट (मूल + अनुपूरक)	व्यय	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3 / 2*100)
प्रतिबद्ध व्यय	55,775.46	48,882.96	29.59	30.61	87.64
राज्य की योजनाएं	87,527.61	78,488.28	46.44	49.15	89.67
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्र का हिस्सा	16,166.06	10,046.11	8.57	6.29	62.14
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राज्य का हिस्सा	14,503.43	9,886.26	7.69	6.19	68.16
बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई ए पी)	876.49	388.00	0.47	0.24	44.27

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि सभी घटकों में बजटीय आवंटन के उपयोग में 44.27 प्रतिशत से 89.67 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण भिन्नता है। यह असमान बजट निष्पादन और विभागों में कमजोर वित्तीय योजना को इंगित करता है।

ईएपी ने सबसे कम व्यय (बजट का 44.27 प्रतिशत) दर्ज किया, जो परियोजना कार्यान्वयन में देरी, निधि का अपर्याप्त जारी होना और कमजोर निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है। यह न केवल परियोजना के परिणामों को बाधित करता है बल्कि बाहरी सहायता में कमी या लागत बढ़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

कई घटकों में कम उपयोग से बजटीय आवश्यकताओं के अधिक अनुमान का संकेत मिलता है। यह बजट की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और नियोजित विकास परिणामों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है।

चार्ट 2.2: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



स्रोत: विनियोग लेखे

चार्ट 2.2 से यह देखा गया है कि राज्य शासन ने 2024-25 में स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले 1,523 उप-शीर्षों में से 429 उप-शीर्षों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। बजटीय आवंटनों और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना, बजट पर विधायी नियंत्रण और शासन की वित्तीय जवाबदेही को सीमित करता है।

2.2.2 जेंडर बजट

जेंडर बजट कुल बजट का एक हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (1) महिला-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित है और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य शासन ने 31 योजनाओं के लिए ₹ 10,567.28 करोड़ आवंटित किए, जो 100 प्रतिशत महिला केंद्रित हैं। ₹ 10,567.28 करोड़ के कुल बजट में से ₹ 10,071.14 करोड़ (95.30 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

इसके अलावा, 104 योजनाओं के लिए ₹ 24,902.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें बजट का कुछ भाग (कम से कम 30 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों पर खर्च किया जाना था। इन योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 19,874.28 करोड़ (79.81 प्रतिशत) खर्च किए गए।

जेंडर बजट के तहत सभी योजनाओं में से, महतारी वंदन योजना में सबसे अधिक ₹ 7,900 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिससे यह राज्य में महिलाओं को लाभान्वित करने वाली सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना बन गई।

2.2.3 चाइल्ड बजट

इस बजट का उद्देश्य 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सामाजिक विकास, सुरक्षा, ज्ञान प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य शासन ने 54 योजनाओं के लिए बजट में ₹ 9,843.69 करोड़ प्रदान किए। इस श्रेणी में खेल और युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग जैसे विभागों को प्रमुख रूप से आवंटन किए गए थे।

इसमें से ₹ 8,123.80 करोड़ का बजट 48 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल केंद्रित हैं। ₹ 6,603.20 करोड़ (81.28 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹ 1,520.60 करोड़ (18.72 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया गया था।

चाइल्ड बजट के तहत सभी योजनाओं में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना को सबसे अधिक ₹ 1,873.93 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ, इसके बाद समग्र शिक्षा (₹ 1,502 करोड़) और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (₹ 724.37 करोड़), यह छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए शासन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

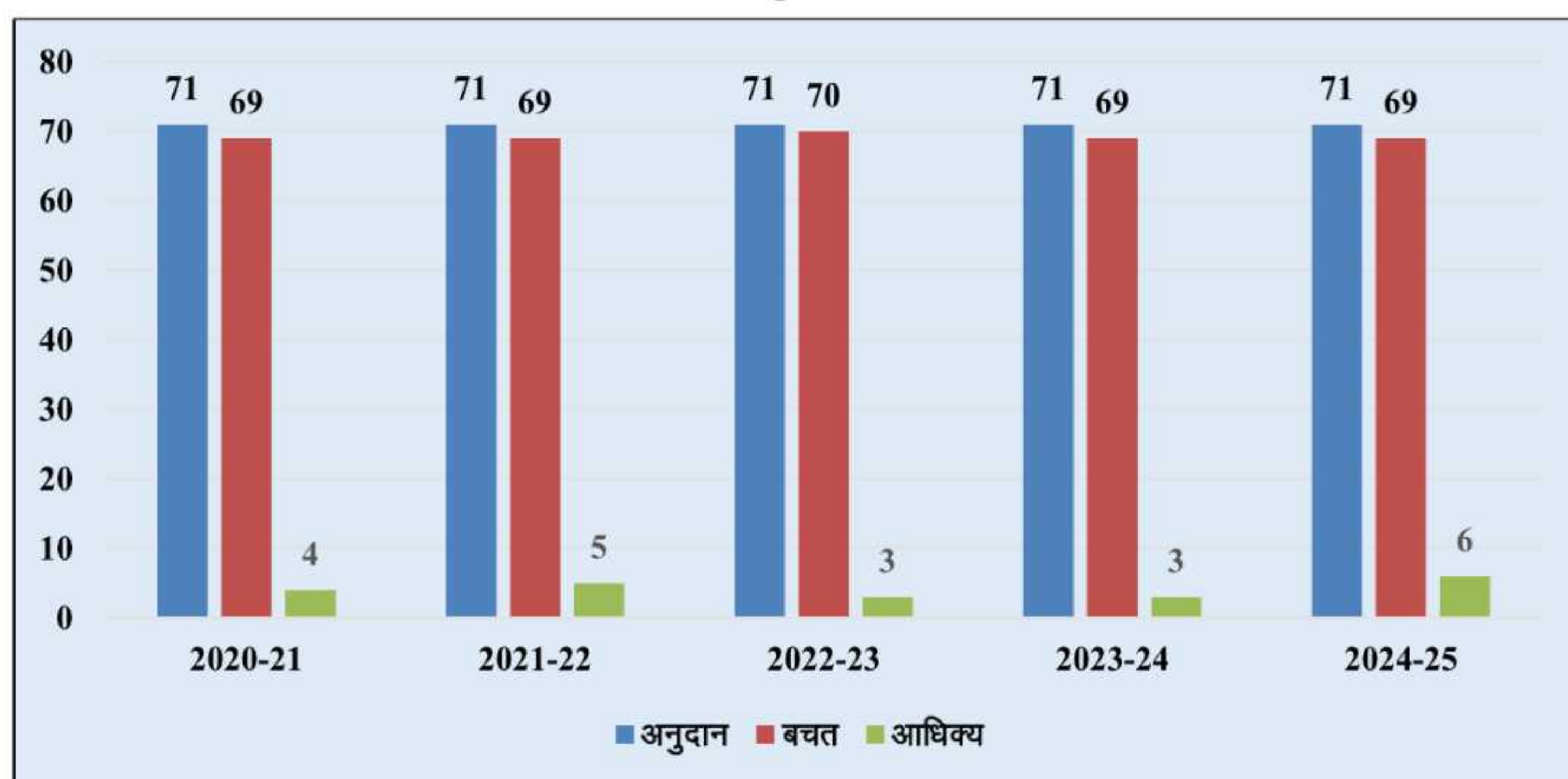
2.3 बजट लक्ष्य प्राप्ति

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि क्रियान्वयन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है।

अनुदान, आधिक्य एवं बचत का वर्ष-वार विश्लेषण राज्य द्वारा बजट क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। इसे चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष-वार अनुदान, आधिक्य और बचत



अनुदान-वार व्यय के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चलता है कि 2024-25 के दौरान छह अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य व्यय जारी रहा। इसके विपरीत, बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की संख्या लगातार उच्च बनी हुई है, जो बजटीय प्रावधानों के व्यापक अल्प-उपयोग, बजट अनुमान और व्यय नियंत्रण में लगातार कमजोरी का संकेत देती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पुनरीक्षित अनुमानों के संबंध में व्यय संरचना का विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: व्यय संरचना समग्र विचलन वित्त वर्ष 2024-25

खंड	समग्र विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (मतदेय)	(-) 2.65	0 से ± 25	44
		± 25 से ± 50	15
		± 50 से ± 100	5
पूंजीगत (मतदेय)	(-) 14.93	0 से ± 25	33
		± 25 से ± 50	8
		± 50 से ± 100	24
		$\geq \pm 100$	1
राजस्व (भारित)	(-) 0.58	0 से ± 25	13
		± 25 से ± 50	1
		± 50 से ± 100	26
		≥ 100	1
पूंजीगत (भारित)	(-) 15.49	0 से ± 25	4
		± 25 से ± 50	0
		± 50 से ± 100	2
		$\geq \pm 100$	3

पूंजीगत (मतदेय और भारित) खंडों के तहत उच्च विचलन पूंजीगत व्यय प्रबंधन में कमियों को उजागर करते हैं। विचलन परियोजना के क्रियान्वयन में देरी और पूंजीगत योजनाओं की कमजोर निगरानी जैसे मुद्दों की ओर इशारा करते हैं।

± 25 प्रतिशत से अधिक विचलन वाले अनुदानों की बड़ी संख्या अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाती है। इस प्रकार की भिन्नताएं बजट प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं और परिणामी बजट ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता को इंगित करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बजट निर्माण विभागीय क्षमता और क्रियान्वयन समयसीमा के वास्तविक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे शासन के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के व्यय के खाते होते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंतर्निहित अनुदानों और अनुदान-आधारित प्रभारों की राशि के साथ तुलना की जाती है, जैसा कि अनुच्छेद 204 और अनुच्छेद 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट किया गया है। इन खातों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण और पुनर्विनियोगों की तुलना में वास्तविक व्यय को सकल आधार पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह पता लगाया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है और संविधान के उपबंधों (अनुच्छेद 202) के अंतर्गत भारित किए जाने के लिए अपेक्षित व्यय इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी पता लगाता है कि किया गया व्यय

कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

2.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया

2.5.1 आधिक्य व्यय और उसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय का नियमितीकरण राज्य विधानसभा द्वारा करवाए। यद्यपि अनुच्छेद के तहत आधिक्य व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि आधिक्य व्यय का नियमितीकरण, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूरी हो जाने के पश्चात् किया जाता है।

क. चालू वर्ष के दौरान आधिक्य व्यय

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान छह विनियोगों के तहत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकार पर ₹ 1,538.65 करोड़ का आधिक्य संवितरण किया गया, जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: 2024-25 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या.	विनियोग	विनियोग विवरण	आधिक्य व्यय की राशि जिनको नियमित करने की आवश्यकता है
1.	03	पुलिस (राजस्व – भारित)	0.07
2.	06	वित्त विभाग (राजस्व – भारित)	1.21
3.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व – भारित)	0.02
4.	55	महिला एवं बाल कल्याण (राजस्व – भारित)	0.05
5.	CH 1	लोक ऋण	1,510.23
6.	CH 2	ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	27.07
योग			1,538.65

स्रोत: विनियोग लेखे

ख. पिछले वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

वर्ष 2000-01 से 2023-24 तक की अवधि से संबंधित ₹ 39,295.20 करोड़ का आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा से नियमितीकरण के लिए लंबित है, जैसा कि तालिका 2.6 में दिखाया गया है।

तालिका 2.6: पिछले वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय जिसे नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की संख्या/ विनियोग	अनुदान/ विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000-01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12, 33, 40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान और 6	
2004-05	4 अनुदान	15, 24, 67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 और 42	
2005-06	4 अनुदान	4, 15, 24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4, 24, 67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23, 33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 और 67	
2010-11	22 अनुदान	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75 82 और ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण, 1, 20, 23, 29 और 36	
2011-12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06, 12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06, 19, 33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	06, 12 और 50	98.24

	2 विनियोग	41 और ब्याज भुगतान	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06, 55 और ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	11.46
2017-18	3 अनुदान	06,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	0.37
2018-19	2 अनुदान	06 और 50	1.19
	4 विनियोग	06, 14, 33 और 67	0.48
2019-20	3 अनुदान	06, 33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण और ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	6,036.62
2020-21	2 अनुदान	06 और 83	252.24
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	3,179.87
2021-22	2 अनुदान	06 और 51	590.41
	3 विनियोग	06, 55 और लोक ऋण	3,469.35
2022-23	1 अनुदान	06	41.77
	2 विनियोग	55 और लोक ऋण	3,588.83
2023-24	6 विनियोग	03, 06, 20, 55, लोक ऋण और ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	18,228.21
योग			39,295.20

स्रोत: विनियोग लेखे

राज्य की संचित निधि से व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, इन आधिक्य व्ययों को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता है और राज्य शासन द्वारा ऐसी अधिकता की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

बताए जाने पर, राज्य शासन ने उत्तर (फरवरी 2026) में कहा कि उपरोक्त आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्रगति पर है।

2.5.1.1 कुछ अनुदानों में लगातार आधिक्य व्यय

लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि एक अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के दो योजना शीर्षों में, लगातार पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक का आधिक्य व्यय हुआ था, जैसा कि तालिका 2.7 में बताया गया है।

तालिका 2.7: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लगातार आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण / विनियोग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	अनुदान संख्या- 06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय 2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 102-3080 भारत में पेंशन के कम्यूटेड (एकमुश्त) मूल्य का भुगतान।					
	कुल प्रावधान	30.00	33.00	41.50	64.00	97.24
	व्यय	192.19	40.18	68.87	88.33	104.70
	आधिक्य	162.19	7.18	27.37	24.33	7.46
2.	अनुदान संख्या- 06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय 2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 104-4590 - सेवा और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी					
	कुल प्रावधान	630.00	70.00	670.00	765.00	1,108.75
	व्यय	634.69	688.72	997.98	1,140.30	1,247.04
	आधिक्य	4.69	18.72	327.98	349.30	138.29

स्रोत: विनियोग लेखे

2.5.2 अनुपूरक अनुदान गैर-आवश्यक प्रदान किए गए

संविधान के अनुच्छेद 205 में मूल प्रावधानों से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

यह देखा गया कि 38 अनुदानों से संबंधित 43 प्रकरणों में (परिशिष्ट 2.1) भले ही ₹ 2,458.29 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, लेकिन वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय मूल प्रावधानों तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार, 50 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ से अधिक) से संबंधित 67 प्रकरणों में ₹ 26,456.88 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (परिशिष्ट 2.2) क्योंकि संपूर्ण अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका।

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

अनुदान संख्या 30 – पंचायत और ग्रामीण विकास की लेखा परीक्षा से पता चला है कि मूल बजटीय प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है और जहां 2024–25 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, उसका विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ दो करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या.	योजना	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
1.	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	83.71	5.00	79.08	–4.63
2.	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क एवं विकास	69.28	5.00	30.77	–38.52

स्रोत: विनियोग लेखे

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

इसके अलावा, उदाहरण जहां पूर्ण बजटीय प्रावधान का गैर-उपयोग किया गया और जहां अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ, क्योंकि 2024–25 के दौरान संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका, एक योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन में देखा गया है जैसा कि तालिका 2.9 में दिखाया गया है।

तालिका 2.9: ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ दो करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचत)
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन	314.85	124.55	439.40	363.69	–75.71

स्रोत: विनियोग लेखे

2.5.3 अप्रयुक्त राशि और समर्पित की गई विनियोग और/या बड़ी बचत/ समर्पण

बजट प्रस्तावों में सभी संभावित व्यय को उचित व्यय स्तर तक अनुकूलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि व्यय की गुणवत्ता में संतुलन बना रहे और बजट में आवंटित निधियों का अल्प उपयोग कम हो सके। व्यय इकाइयों द्वारा समय पर समर्पण अनुमोदित बजट के भीतर इष्टतम पुनर्आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदान और विनियोग के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2024-25 के दौरान 44 प्रकरणों (32 अनुदानों के तहत) में, बचत (समर्पण को छोड़कर) प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (परिशिष्ट 2.3)। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 23 अनुदानों के तहत 29 प्रकरणों में, 2022-23 से 2024-25 के दौरान प्रत्येक प्रकरण (परिशिष्ट 2.4) में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

अनुदान संख्या 30 – पंचायत और ग्रामीण विकास की लेखा परीक्षा से पता चला कि वर्ष 2024-25 के दौरान दो प्रकरणों में, बचत (समर्पण को छोड़कर) प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ रुपये से अधिक थी जैसा कि तालिका 2.10 में दिखाया गया है।

तालिका 2.10: समर्पण के बाद बड़ी बचत वाली योजनाएं

क्रम संख्या	योजना	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण	(₹ करोड़ में)
						बचत (समर्पण के बाद)
1.	6728— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	1,433.90	596.46	-837.44	-787.29	-50.15
2.	7105— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	350.00	140.00	-210.00	0.00	-210.00

स्रोत: विनियोग लेखे

अनुदान संख्या 30: पंचायत और ग्रामीण विकास

कई प्रमुख योजनाओं में 2024-25 के दौरान आवंटित निधि का 100 प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ जैसे स्वच्छ भारत अभियान (₹ 200.00 करोड़), पीएमजीएसवाई सड़कों के तहत पुलों का निर्माण (₹ 15.00 करोड़), मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ महोत्सव सम्मान कोष (₹ 5.00 करोड़), ग्रामीण औद्योगिक पार्क (₹ 1.09 करोड़), सुराजी ग्राम योजना (₹ 0.52 करोड़)।

इस ओर ध्यान दिए जाने पर, शासन ने कहा कि :

1. स्वच्छ भारत अभियान— केंद्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि योजना को एसएनए-स्पर्श पर शामिल नहीं किया जा सका था, इसलिए बजट में प्रावधान किए गए ₹ 200.00 करोड़ के राज्य के हिस्से को खर्च नहीं किया गया था।
2. पीएमजीएसवाई सड़कों पर पुलों का निर्माण— पत्र संख्या 3276/28.04.2025 के माध्यम से ₹ 15.00 करोड़ समर्पित किए गए, लेकिन विभाग द्वारा बचत के कारण एवं समर्पण पत्र प्रदान नहीं किए गए।
3. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ महोत्सव सम्मान निधि— इकाइयों से मांग प्राप्त न होने के कारण बजट आहरित/खर्च नहीं किया गया।
4. सुराजी ग्राम योजना — इकाइयों से मांग प्राप्त न होने के कारण बजट आहरित या खर्च नहीं किया गया।

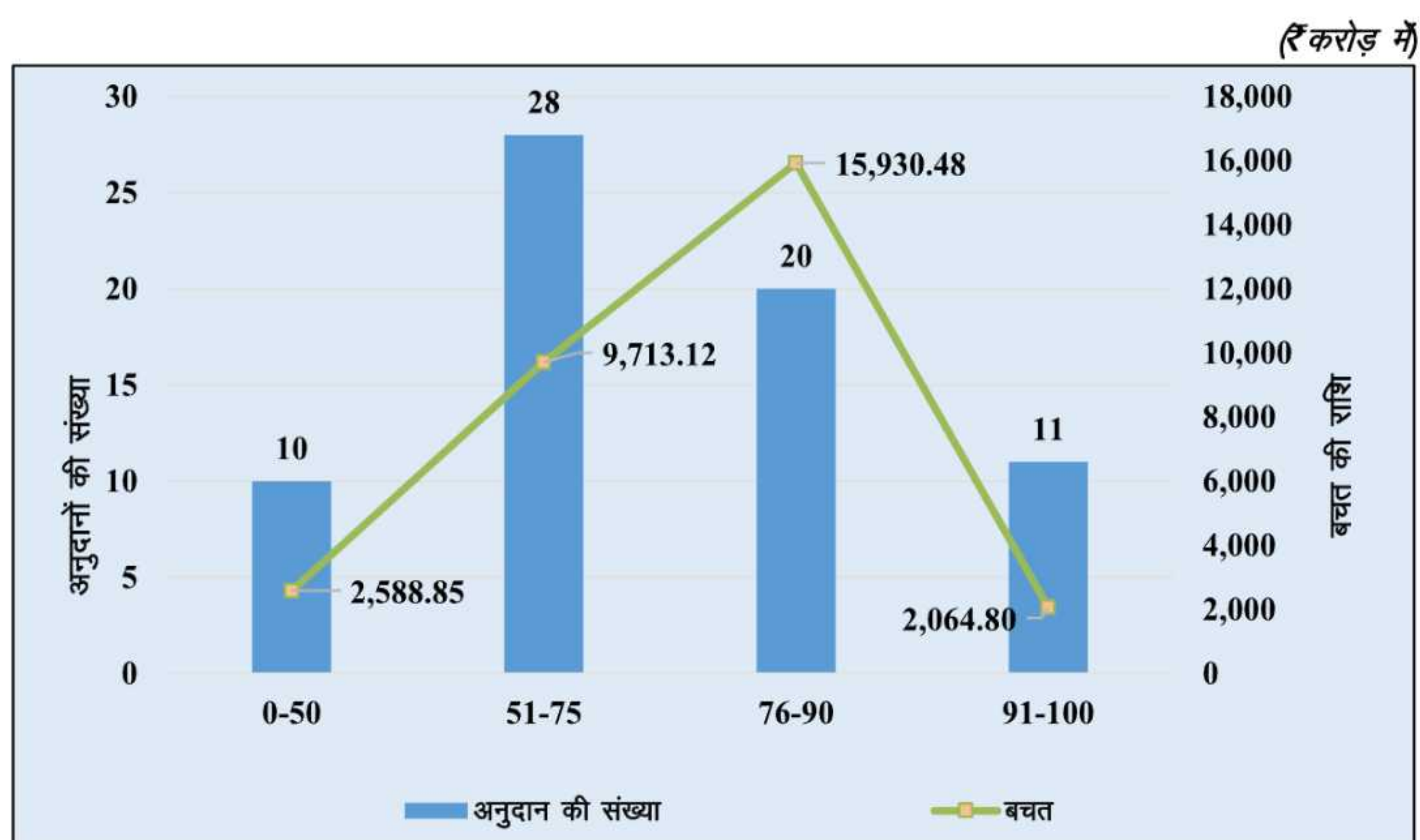
अनुदान संख्या 69: शहरी प्रशासन और विकास

कई प्रमुख योजनाओं में 2024-25 के दौरान आवंटित निधि का 100 प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (₹ 115.01 करोड़), शहरी निकायों में केंद्रीय पुस्तकालय सह रीडिंग जोन का निर्माण (₹ 54.00 करोड़), जल ए.टी.एम. की स्थापना (₹ 4.00 करोड़)।

विभाग से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण **परिशिष्ट 2.5** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.4: कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदान/विनियोग की संख्या का वितरण



स्रोत: विनियोग लेखे

2024-25 के दौरान अनुदान/विनियोग के उपयोग पैटर्न को उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत किया गया, जिससे सभी उपयोग श्रेणियों में महत्वपूर्ण बचत का पता चला। जैसा कि चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है, 50 प्रतिशत से कम उपयोग वाले 10 अनुदानों में ₹ 2,588.85 करोड़ की बचत दर्ज की गई है, जो इन अनुदानों के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी को दर्शाता है। इन 10 अनुदानों में से ₹ 1,182.12 करोड़ के अनुदान 69 में सबसे अधिक बचत देखी गई। इसके अलावा, 28 अनुदानों 51 से 75 प्रतिशत उपयोग श्रेणी के भीतर आते हैं, जिससे ₹ 9,713.12 करोड़ की बचत देखी गई। इन 28 अनुदानों में से सबसे अधिक बचत ₹ 2,170.91 करोड़ के अनुदान 30 में देखी गई। विशेष रूप से, 20 अनुदानों में ₹ 15,930.48 करोड़ की सबसे अधिक बचत देखी गई, जहां उपयोग 76 से 90 प्रतिशत के बीच था। इन 20 अनुदानों में से सबसे अधिक

बचत ₹ 7,123.45 करोड़ के अनुदान 41 में देखी गई। यहां तक कि 91 से 100 प्रतिशत श्रेणि में भी 11 अनुदानों में ₹ 2,064.80 करोड़ की बचत देखी गई, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आबंटित निधियों को पूरी तरह से अवशोषित करने में असमर्थता को दर्शाता है। इन 11 अनुदानों में से सबसे अधिक बचत ₹ 616.35 करोड़ के अनुदान 13 में देखी गई।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 के लिए बचत और समर्पण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: विनियोग लेखे

चार्ट 2.5 के विश्लेषण से पता चला है कि 95.41 प्रतिशत बचत को समर्पण कर दिया गया था और उसमें से 69.73 प्रतिशत 31 मार्च 2025 को समर्पित कर दिया गया। लगातार आधिक्य बचत और अंतिम दिन को समर्पण कमजोर बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बाधित करता है।

बताए जाने पर, राज्य शासन ने जवाब (फरवरी 2026) में कहा कि सभी विभागों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि जब भी उन्हें पता चले कि वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा खर्च संभव नहीं होगा, तो बचत को समर्पित करें।

2.5.4 राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, लघु शीर्षों 191 से 193, 196 से 198 के तहत किए गए व्यय को राजस्व शीर्षों के तहत दर्ज किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त लघु शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 1,214.23 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। इसके अलावा, वाउचरों की जांच से पता चला है कि सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/बोर्डों को बजट से इतर उधारों के मूलधन की अदायगी के लिए पूंजीगत शीर्षों (4055, 4216 और 5054) के तहत ₹ 3,912.32 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। यह सरकारी लेखा नियम, 1990 में निर्धारित लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार असंगत है। ऋण के मूलधन पुनर्भुगतान के परिणामस्वरूप नई परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है बल्कि, यह दायित्वों को पूरा करने के लिए एक व्यय है और इसे राजस्व व्यय (विशेष रूप से सहायता अनुदान के रूप में) के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

साथ ही, वाउचरों की जांच से पता चला है कि लोक निर्देश निदेशालय, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्राथमिक, पूर्व-माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तत्काल मरम्मत कार्य करने के लिए ₹ 21.72 करोड़ की मंजूरी जारी की थी और उपरोक्त मंजूरी के मुकाबले ₹ 20.56 करोड़ का व्यय पूंजीगत खंड के तहत दर्ज किया गया था। चूंकि कार्य की उपर्युक्त प्रकृति

से कोई आधिक्य पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, इसलिए उपर्युक्त स्वीकृति के विरुद्ध व्यय को राजस्व धारा के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा, वस्तु शीर्ष-28 (मशीन और उपकरण) से संबंधित ₹ 0.75 करोड़ का व्यय पूंजीगत शीर्षों के बजाय राजस्व शीर्षों के तहत दर्ज किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में ₹ 5,147.11 करोड़ की अतिरिक्ति और राजस्व व्यय में ₹ 0.75 करोड़ की अतिरिक्ति दर्ज की गई।

बताए जाने पर, राज्य शासन ने (फरवरी 2026) कहा कि राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत होने से रोकने के लिए, राज्य सभी विभागों को लेखा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर रहा है। पूंजीगत मदों के अंतर्गत लघु शीर्षों (191 से 193 और 196 से 198) के सुधार हेतु शुद्धिपत्र भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय के प्रकार के बजट प्रावधान हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य शासन ने अपने पिछले उत्तर (नवंबर 2025) का खंडन किया था, जिसमें राजस्व व्यय के रूप में मानते हुए ऑफ-बजट उधार से संबंधित मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व मद में प्रावधान किया गया था। ऑफ-बजट ऋण अदायगी के लिए सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों को प्रदान किए गए ₹ 3,912.32 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इस आधार पर कि इन व्ययों में से निर्मित मूर्त परिसंपत्तियों (जैसे सड़क, पुल, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय घर आदि) का स्वामित्व केवल राज्य शासन के पास होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य शासन ने पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति के ₹ 1,234.79 करोड़, पूंजीगत प्रकृति के ₹ 0.75 करोड़ को राजस्व व्यय के रूप में और ₹ 3,912.32 करोड़ को ऑफ-बजट ऋण के पुनर्भुगतान को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया है।

2.5.5 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका वास्तविक वित्त पोषण

शासन द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहलें, योजना दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य शुरू न होने, बजट जारी न किए जाने आदि के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कार्यान्वित नहीं की गई है। यह देखा गया कि 25 योजनाओं के तहत, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 261.41 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

2.5.6 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र संख्या 1480/ब-4/वित्त/2025 दिनांक 16 अप्रैल 2025 द्वारा जारी स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त विभाग ने तिमाही व्यय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार कुल बजट आवंटन का 25 प्रतिशत पहली तिमाही के लिए, 15 प्रतिशत दूसरी तिमाही के लिए, 25 प्रतिशत तीसरी तिमाही के लिए और 35 प्रतिशत अंतिम तिमाही के लिए (मार्च माह के लिए

15 प्रतिशत तक) आवंटित किया जाता है। तदनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय की अत्यधिक मात्रा जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है, वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

तालिका 2.11: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

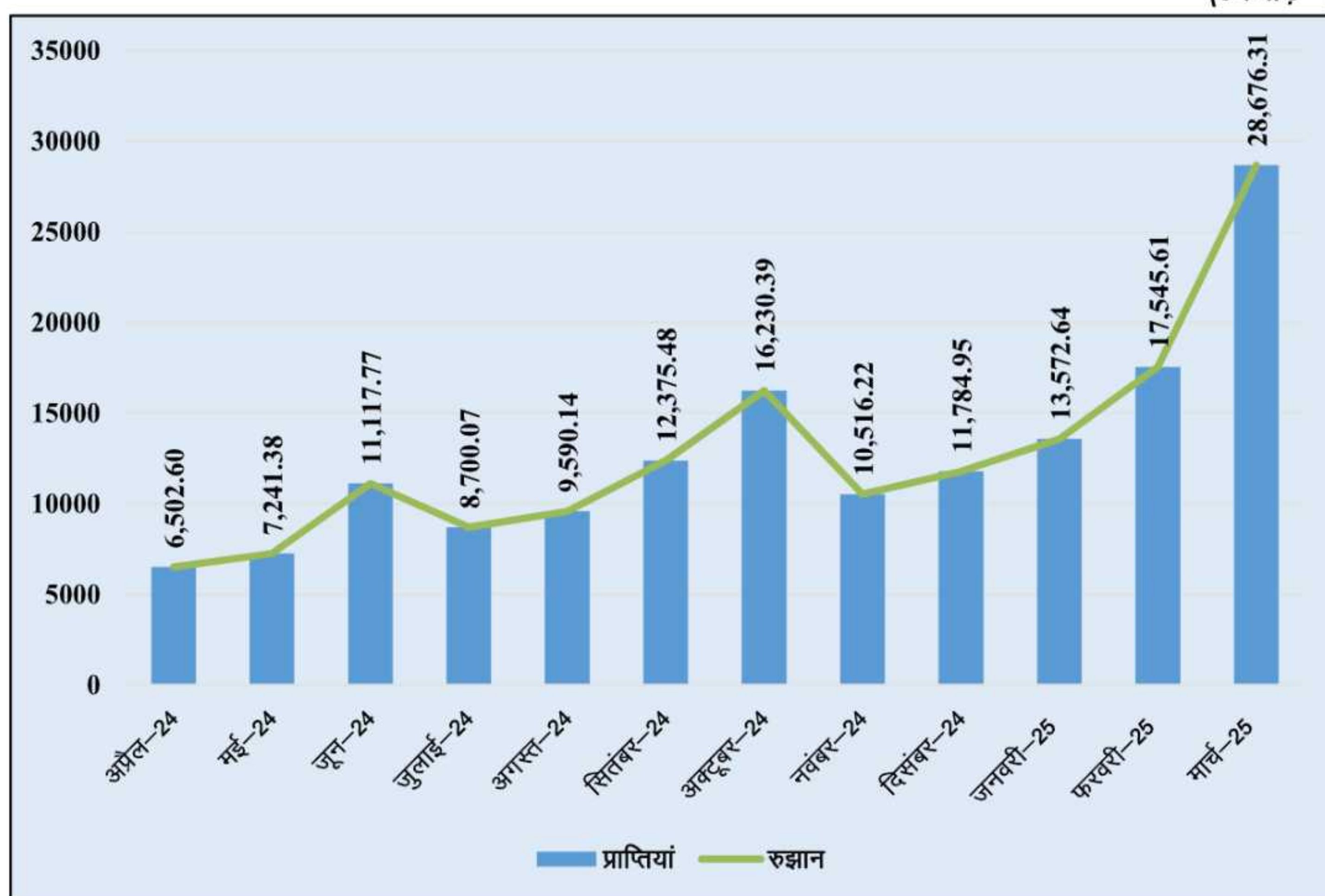
	कुल राशि	व्यय के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का प्रतिशत	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी 2025 से मार्च 2025)	69,575.66	35	43.57
वर्ष का अंतिम माह (मार्च-2025)	34,312.48	15	21.48

स्रोत: वीएलसी सर्वर से संकलित जानकारी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और नकद शेष) और व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.6 और चार्ट 2.7 में दिखाई गई है।

चार्ट 2.6: प्राप्तियों का रुझान विश्लेषण (माहवार)

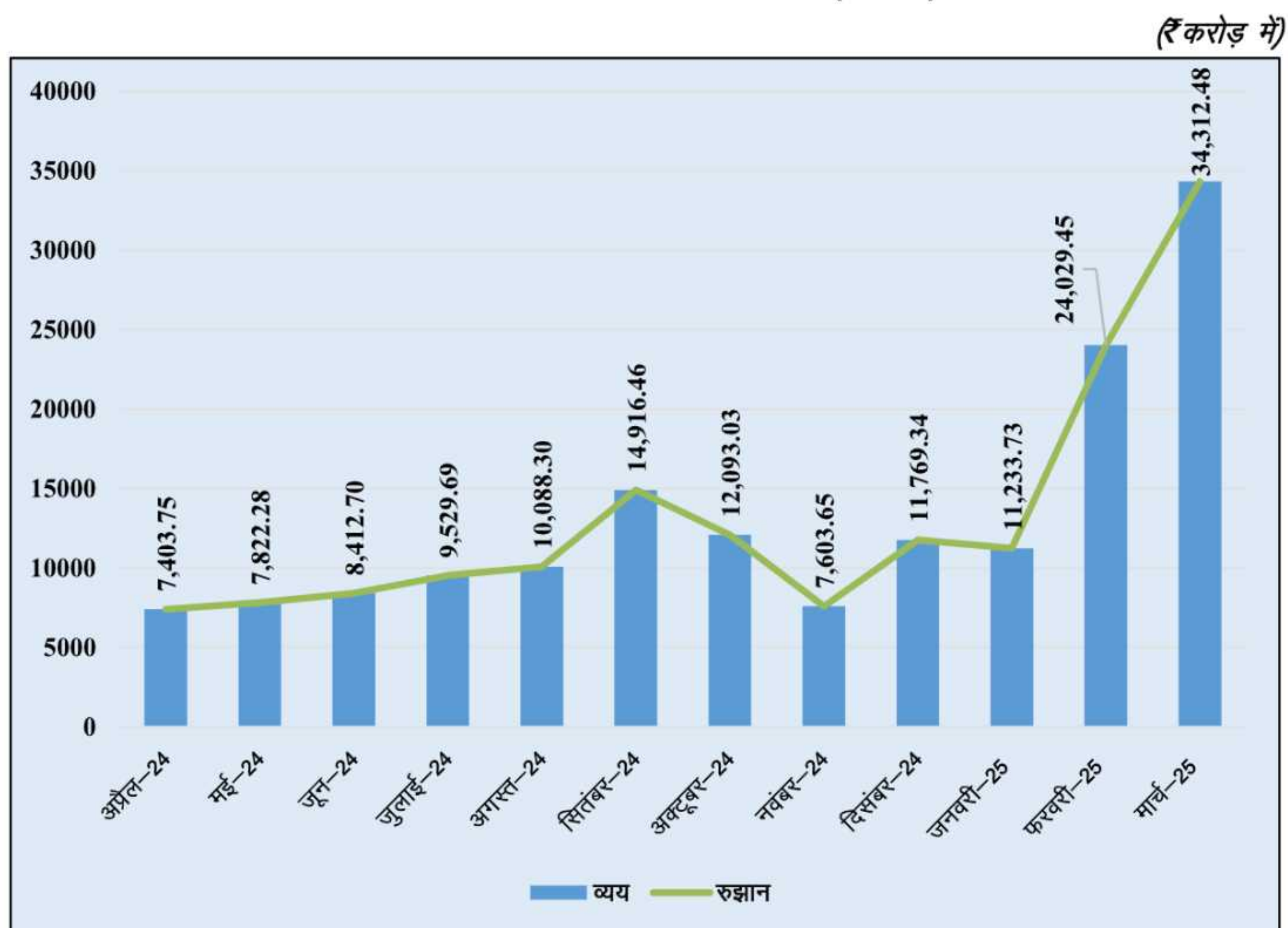
(₹ करोड़ में)



स्रोत: वीएलसी सर्वर से संकलित जानकारी

मासिक प्राप्ति का रुझान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह में एक स्पष्ट विषमता का संकेत देता है।

चार्ट 2.7: व्यय का रुझान विश्लेषण (माहवार)



स्रोत: वीएलसी सर्वर से संकलित जानकारी

नोट: मार्च के अनुपूरक लेखे के समायोजन के बिना माह-वार व्यय

मासिक व्यय की प्रवृत्ति वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च में एक स्पष्ट विषमता का संकेत देती है।

इसके अलावा, मार्च 2025 के माह में 11 उप-शीर्षों के तहत ₹ 2,745.82 करोड़ के पूरे बजट प्रावधानों के बराबर राशि खर्च की गई (परिशिष्ट 2.7)। सभी मुख्य शीर्षों में किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण परिशिष्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

2.6 राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन

2.6.1 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने (मार्च 2021 में) प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधि जारी करना अनिवार्य किया है, और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया। प्रत्येक एसएनए का एक अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित बैंक खाता होना चाहिए। राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय अंश को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित राज्य के खाते में अंतरित करना होता है।

लेखापरीक्षा ने वीएलसी डेटा और एसएनए पीएफएमएस रिपोर्ट का विश्लेषण किया और पाया कि एसएनए खातों में केंद्रीय और राज्य अंश हस्तांतरण के डेटा में विसंगति थी, जैसा कि तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: केंद्र और राज्य शेयर हस्तांतरण में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

डेटा का स्रोत	केंद्रीय हिस्सा प्राप्त हुआ	केंद्रीय हिस्सा हस्तांतरित	राज्य का हिस्सा हस्तांतरित
वीएलसी	11,799.98	10,419.33	9,886.24
एसएनए पीएफएमएस रिपोर्ट	10,602.91	9,032.00	9,446.09
अंतर राशि	1,197.07	1,387.33	440.15

स्रोत: वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां

2.6.2 एकल नोडल एजेंसी – स्पर्श

केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत जारी की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता की निगरानी बढ़ाने के लिए व्यय विभाग ने निधि प्रवाह प्रक्रियाओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देश प्रस्तुत किया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भुगतान के लिए 'समय पर जारी करने' के सिद्धांतों को लागू करना है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिक कुशल नकदी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र, एसएनए-स्पर्श – सीएसएस फंड के एकीकृत और त्वरित हस्तांतरण के लिए एक वास्तविक समय प्रणाली – शुरू की गई थी। यह प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर को एकीकृत करने वाले एक निर्बाध ढांचे के माध्यम से संचालित होती है, जिससे कुशल और पारदर्शी निधि वितरण की सुविधा मिलती है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारों को एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में निधियों के केंद्र और राज्य दोनों हिस्से को अंतरित करना आवश्यक है।

एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत, प्रत्येक राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अनुरूप प्रत्येक राज्य-लिंकड योजना को लागू करने के लिए एक एसएनए नामित करना होगा, और सभी रिलीज को विशेष रूप से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भेजा जाना है। ऑनबोर्ड होने पर, मौजूदा एसएनए खातों को बंद कर दिया जायेगा और अव्ययित शेष राशि को भारत की संचित निधि में केंद्रीय हिस्सा और संबंधित राज्य संचित निधि में राज्य का हिस्सा भेजा जायेगा। इसके अलावा, सभी एसएनए और कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) में पंजीकृत होना होगा, और व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों या अन्य मध्यस्थ खातों के माध्यम से रूट किए बिना, सीधे लाभार्थियों या विक्रेताओं को सही-समय पर आधारित निधि जारी किया जायेगा, जिससे बेहतर नकदी प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, जनवरी 2026 तक, कुल 161 सीएसएस योजनाओं में से 136 योजनाओं की मैपिंग की जा चुकी है और शेष 25 योजनाओं को पीएफएमएस में मैप नहीं किया गया है।

2.7 आकस्मिकता निधि

छत्तीसगढ़ शासन की आकस्मिकता निधि की स्थापना छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 और छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत की गई थी और राज्य शासन अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि में राशि के भुगतान और राशि की निकासी से संबंधित या उससे जुड़े सभी प्रकरणों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। राज्य विधानसभा अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करती है तो निधि की वसूली की जाती है। इस निधि का संचित कोष ₹ 100 करोड़ है।

2.7.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल एक अप्रत्याशित और आकस्मिक चरित्र के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसका स्थगन, विधायिका द्वारा इसकी मंजूरी मिलने तक, अवांछनीय होगा।

2024-25 के दौरान, आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कुल ₹ 136.84 करोड़ की राशि निकाली गई थी। एक विभाग (पुलिस विभाग) द्वारा एक योजना के संबंध में अग्रिम के रूप में निकाली गई ₹ 37.41 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

किए गए व्यय का मुख्य शीर्षवार ब्यौरा तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: मुख्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	धनराशि
1.	2052 – सचिवालय-सामान्य सेवाएं	8.79
2.	2055 – पुलिस	37.41
3.	2202 – सामान्य शिक्षा	17.43
4.	2203 – तकनीकी शिक्षा	9.73
5.	2204 – खेल और युवा सेवाएं	7.6
6.	2205 – कला और संस्कृति	0.34
7.	2210 – चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.65
8.	2215 – जल आपूर्ति और स्वच्छता	0.17
9.	2235 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	38.59
10.	2406 – वानिकी और वन्य जीवन	0.76
11.	2515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.2
12.	3451 – सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	7.92
13.	5054 – सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	7.25
योग		136.84

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ का कार्यालय

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन के बजटीय अनुमानों में वर्ष 2024-25 के लिए उपयोग का प्रतिशत पिछले तीन वर्षों (2021-22 – 87.37 प्रतिशत, 2022-23 – 89.01 प्रतिशत, 2023-24 – 96.06 प्रतिशत) के उपयोग प्रतिशत की तुलना में काफी कम होकर 84.74 प्रतिशत रह गया है।

राज्य शासन ने 1,523 में से 429 उप-शीर्षों में भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने से बजट पर विधायी नियंत्रण और सरकार की वित्तीय जवाबदेही सीमित हो जाती है।

69 अनुदानों में ₹ 28,759.93 करोड़ की शुद्ध बचत बजटीय प्रावधानों के व्यापक रूप से कम उपयोग को दर्शाती है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में अनुदानों में बचत पिछले पांच वर्षों से लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान छह विनियोगों से संबंधित ₹ 1,538.65 करोड़ के आधिक्य व्यय को राज्य विधानसभा से नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से 2023-24 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹ 39,295.20 करोड़ लंबित हैं।

50 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ से अधिक) से संबंधित 67 प्रकरणों में ₹ 26,456.88 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि संपूर्ण अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका, जो बजट अनुमान में कमियों को दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान 25 नई योजनाओं के तहत ₹ 261.41 करोड़ के बजटीय प्रावधानों के बावजूद, कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

राज्य शासन ने तिमाही व्यय सीमाओं का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय में तेजी आई।

2.9 अनुशंसाएँ

शासन कर सकती है

- निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित बचत को समर्पित करना चाहिए ताकि धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- वर्ष 2000-01 से 2024-25 की अवधि के दौरान विधानसभा द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर किए गए आधिक्य व्यय को जल्द से जल्द नियमित करना।
- आवंटनों से किसी भी विचलन के कारणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें ताकि स्पष्टीकरण अधिक ठोस, पारदर्शी और विश्वसनीय हो जाए।
- यथार्थवादी अनुमानों को अपनाकर, पूंजीगत कार्यों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करके और एक मजबूत परिणामी बजट तंत्र के माध्यम से वित्तीय परिव्यय और मापने योग्य परिदेय के बीच संबंध में सुधार करके अनुमान प्रक्रिया को मजबूत करना।